वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 14.06.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि0 14.06.2025

आरसी का पैसा जमा न करने पर होगी होटल की कुर्की

वाराणसी। आरसी का पैसा जमा न करने पर बुद्ध विहार कॉलोनी स्थित बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल की कुर्की होगी। वीडीए की ओर से 4.06 लाख रुपये की वसूली के लिए आरसी जारी किया गया। इसमें कहा गया कि डिमॉलेशन के दौरान हुए खर्च की वसूली भी की जाएगी। निर्माणकर्ता मोहम्मद जाफर अली खां ने अवैध निर्माण स्वयं नहीं हटाया। वीडीए ने 24 अप्रैल 2024 को आंशिक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 4.06 लाख का खर्च वीडीए का हुआ। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि यदि पैसा जमा नहीं करेंगे तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो

हिन्दुस्तान—दि0 14.06.2025

हमीदपुर में अवैध प्लाटिंग को वीडीए टीम ने ढहाया

- एक बीघा जमीन पर कर रहे थे निर्माण
- कहा, प्लाट खरीदने से पूर्व हमें सूचना दें

पीडीडीयू नगर, संवाददाता। वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को क्षेत्र में अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिसमें मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के हमीदपुर में एक बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लाटिंग को जमींदोज किया गया। इससे क्षेत्र के कालोनाइजरों में हड़कंप मचा रहा।

वीडीए के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश और अवर अभियंता अशोक कुमार यादव अधीनस्थों के साथ क्षेत्र के हमीदपुर में विकसित हो रही कालोनी में पहुंचे। जहां हो रहे नर्माण और सड़कों को जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। वहीं विकसित हो रही कालोनियों में बने प्लॉटों की बाउंड्री वाल को भी जमींदोज किया गया। वीडीए की इस कार्रवाई से कालोनाइजरों में हड़कंप मचा रहा। जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश ने बताया उक्त कालोनियां बिना नक्शा व लेआउट पास कराए अवैध तरीके से विकसित की जा रही हैं। जबकि बीते 16 अप्रैल को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत प्लाटरों को नोटिस जारी की गई थी। लेकिन प्लाटरों ने न तो स्वीकृति ली और न ही नक्शा पास कराया। जिनके खिलाफ कार्रवाई के तहत अज्ञात कॉलोनाइजरों के एक बीघा भूखंड पर बने प्लॉटों के बाउंड्रीवाल को जमींदोज किया गया है। कहा कि कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने से पूर्व वीडीए से उसकी पूरी जानकारी अवश्य ले लें।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 14.06.2025

जोन-5, वार्ड-मुगलसराय के अंतर्गत में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-मुगलसराय के अंतगर्त अज्ञात द्वारा मौजा हमीदपुर, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली,,में बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग (01 बीघे) जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त धारा-27 एवं 28 को नोटिस दिनांक 16.042025 को नोटिस की कार्यवाही सम्पादित की गयी थी परन्तु प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गयाङ्क तदृक्रम में प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 21.05.2025 को पारित किया गया। पारित ध्वस्तीकरण के अनुपालन में आज दिनांक 13.06.2025 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी ।मौके पर जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जय प्रकाश एवं अवर अभियंता अशोक यादव तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे ।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 14.06.2025

अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-5, वार्ड-मुगलसराय के अंतर्गत में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-मुगलसराय के अंतगर्त अज्ञात द्वारा मौजा हमीदपुर, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली,,में बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग (01 बीघे) जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त धारा-27 एवं 28 को नोटिस दिनांक 16.042025 को नोटिस की कार्यवाही सम्पादित की गयी थी परन्तु प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गयाष्ट तदृक्रम में प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 21.05.2025 को पारित किया गया। पारित ध्वस्तीकरण के अनुपालन में आज दिनांक 13.06.2025 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।मौके पर जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जय प्रकाश एवं अवर अभियंता अशोक यादव तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।